



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233564
CG-DL-E-17022022-233564

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 727]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 17, 2022/माघ 28, 1943

No. 727]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 2022/MAGHA 28, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

का.आ. 754(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना, का.आ. सं. 1533(अ) तारीख 15 सितंबर, 2006 के अनुसरण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 2276(अ) तारीख 11 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

अधिसूचना में,--

- पैरा 4 में 'राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-1 (एसईएसी-1)' शब्दों के स्थान पर 'यथास्थिति, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-1 (एसईएसी-1) या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-2 (एसईएसी-2)' शब्द रखे जाएंगे।
- पैरा 5 में, शीर्षक एसईएसी-1, उत्तर प्रदेश की सारणी में क्रम सं. 1 में स्तंभ (2) 'राजीव' शब्द के स्थान पर 'हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है'।

[फा.सं.-जे-11013/43/07-आईए. II (I)(पार्ट.))]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव,

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 2276(अ), तारीख 11 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2022

S.O. 754(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendment to amend the notification of the Government of India, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2276(E) dated 11th June 2021, namely:-

In the notification -

- (i) In paragraph 4 for the words '*State level Expert Appraisal Committee-1 (SEAC-1)*' with the words '*State level Expert Appraisal Committee-1 (SEAC-1) or State level Expert Appraisal Committee-2 (SEAC-2), as the case may be*', shall be substituted,
- (ii) In paragraph 5, under heading SEAC-1, Uttar Pradesh, in the table, in Sl.No. 1, in column (2), for the word '*Rajiv*' the word '*Rajive*' shall be substituted.

[F. No. J-11013/43/07-IA.II(I)(Pt.)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy,

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2276(E) dated 11th June 2021